राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(1)उच्च शिक्षा/ग्रुप–3/2023 जयपुर, दिनांकः– 03.03.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–24.1.0 व 24.2.0 की अनुपालना में निम्नलिखित 47 नवीन राजकीय महाविद्यालय (27 सहशिक्षा एवं 20 कन्या शिक्षा) खोले जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	जिला	महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा/ कन्या शिक्षा	क्र. सं.	जिला	महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा/ कन्या शिक्षा
1.	अजमेर	नांद (पुष्कर)	सहशिक्षा	25.	डूंगरपुर	गलियाकोट	कन्या शिक्षा
2.		बड़ाखेड़ा (टाडगढ़)	सहशिक्षा	26.	श्रीगंगानगर	बीरमाना (सूरतगढ़)	सहशिक्षा
3.		पीसांगन	सहशिक्षा	27.		लालगढ़ जाटान (सादुलशहर)	सहशिक्षा
4.	अलवर	बहादुरपुर	कन्या शिक्षा	28.		बुड्ढा जोहड़ (रायसिंहनगर)	कन्या शिक्षा
5.		नारायणपुर	कन्या शिक्षा	29.		पदमपुर	कन्या शिक्षा
6.	बांसवाड़ा	परतापुर (गढ़ी)	सहशिक्षा	30.	हनुमानगढ़	संगरिया	सहशिक्षा
7.	बारां	सिसवाली	सहशिक्षा	31.		पल्लू (नोहर)	सहशिक्षा
8.	भरतपुर	रूदावल (रूपबास)	कन्या शिक्षा	32.		पीलीबंगा	कन्या शिक्षा
9.		नदबई	कन्या शिक्षा	33.	जयपुर	जगतपुरा	सहशिक्षा
10.		सीकरी (नगर)	कन्या शिक्षा	34.		जयसिंहपुरा खोर	सहशिक्षा
11.		कामां	कन्या शिक्षा	35.	जैसलमेर	मोहनगढ़	सहशिक्षा
12.		निठार (वैर)	कन्या शिक्षा	36.		नाचना	सहशिक्षा
13.	भीलवाड़ा	अंटाली (हुरड़ा)	सहशिक्षा	37.	जालोर	बागोड़ा (भीनमाल)	सहशिक्षा
14.		फूलिया कलां	सहशिक्षा	38.	झालावाड़	असनावर	सहशिक्षा
15.		हमीरगढ़	सहशिक्षा	39.	जोधपुर	लूणावास भाखर (लूणी)	कन्या शिक्षा
16.		शाहपुरा	कन्या शिक्षा	40.	झुंझुनूं	परसरामपुरा (नवलगढ़)	कन्या शिक्षा
17.	बाड़मेर	गोलिया जैतमाल (नौखड़ा)	सहशिक्षा	41.	करौली	नादौती	कन्या शिक्षा
18.		गिड़ा (बायतू)	सहशिक्षा	42.	नागौर	डेगाना	कन्या शिक्षा
19.	बीकानेर	मोमासर(श्रीडूंगरगढ़)	सहशिक्षा	43.	पाली	रानी (मारवाड़ जंक्शन)	कन्या शिक्षा
20.		गोडू (बज्जू)	सहशिक्षा	44.	सीकर	अजीतगढ़	कन्या शिक्षा
21.		नापासर	कन्या शिक्षा	45.	सिरोही	कैलाश नगर	सहशिक्षा
22.		मुरलीधर व्यास नगर	कन्या शिक्षा	46.	उदयपुर	बड़गांव	सहशिक्षा
23.	बूंदी	तालेड़ा	सहशिक्षा	47.		वल्लभनगर	सहशिक्षा
24.	दौसा	कल्लावास(लालसोट)	सहशिक्षा	कुल 47 महाविद्यालय (27 सहशिक्षा एवं 20 कन्या शिक्षा)			

(1) उक्त 47 नवीन महाविद्यालयों (कला संकाय, 02 वर्ग) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में निम्नानुसार 987 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	
			27 सहशिक्षा महाविद्यालय (बजट मद 2202–03–103–02–00)	20 कन्या शिक्षा महाविद्यालय (बजट मद 2202–03–103–03–00)
1.	प्राचार्य	01	27	20
2.	सहायक आचार्य	07	189	140
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	27	20
4.	शारीरिक शिक्षक	01	27	20
5.	सहायक लेखाधिकारी–I	01	27	20
6.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	27	20
7.	सूचना सहायक	01	27	20
8.	वरिष्ठ सहायक	01	27	20
9.	कनिष्ठ सहायक	02	54	40
10.	प्रयोगशाला सहायक	01	27	20
11.	प्रयोगशाला वाहक	01	27	20
12.	बुक लिफ्टर	01	27	20
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	54	40
	कुल योग	**21**	**567**	**420**

भीम BHIM

(i) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में सृजित 21 नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(ii) सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं फर्नीचर, उपकरण एवं कम्प्यूटर क्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) साथ ही उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 4.50 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300300 दिनांक 01.03.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन सोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. शासन उप सचिव–।।, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उक्त स्वीकृति को AFS मॉड्यूल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ20(101 / 06) / आयो / आकाशि / 2023–24 / 1423 दिनांकः 03 मार्च, 2023

विषय :— **माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–24.1.0 व 24.2.0 की अनुपालना में 47 नवीन राजकीय महाविद्यालय (27 सहशिक्षा एवं 20 कन्या शिक्षा) खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 03.03.2023 के पृष्ठांकन बाबत।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)विभाग,राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)विभाग,राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति)विभाग,राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव–प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
12. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान / कार्यकारी निदेशक, रूडसिको / प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
13. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी / संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवीन राजकीय महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो के सुचारू संचालन हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार कार्मिकों की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
15. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यथासमय उक्त नवीन राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
16. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों हेतु नियुक्त संबंधित नोडल अधिकारी एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करे।
17. नोडल अधिकारी, संबंधित नवीन राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन करवाया जाना सुनिश्चित करे।
18. वेबसाइट प्रभारी, आयुंक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
19. रक्षित पत्रावली।

3/3/23
(डॉ. विमलेश सैनी)
संयुक्त निदेशक, आयोजना